न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1082–दो/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 137/2001–02 निगरानी

1– श्रीमती सूरजवाई पत्नि गनेशा
2– हन्नू 3– रामलाल पुत्रगण गनेशा
निवासी ग्राम ढेंकन तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ––आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती कमलीवाई पत्नि पुन्ना
2– लल्लू पुत्र पुन्ना हरिजन
निवासी ग्राम ढेंकन तहसील मुंगावली
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश –– अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 8 –7 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 137/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31–3–2003 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार मुंगावली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की कि सूरजवाई पुत्री गोकलिया पत्नि गनेशा व हन्नू , रामलाल पुत्रगण गणेशा ने किशना पुत्र गोकलिया की भूमि सर्वे नंबर 663 रकबा 2.748 हैक्टर में से हिस्सा 1/2 भाग

(आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर बसीयत के अनुसार नामांत्रण किया जाय। तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण कमांक 10 अ-6/1999-2000 पंजीबद्ध किया एंव जांच उपरांत आदेश दिनांक 29-2-2000 पारित करके वादग्रस्त भूमि पर आवेदकगण का बसीयत के आधार पर नामांत्रण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 45/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-2001 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 29-2-2000 निरस्त किया गया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 137/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 31-3-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण बार-बार सूचना पत्र भेजने के वाद एंव सूचना का सम्यक निर्वहन न पाते हुये पंजीकृत डाक से सूचना दी गई, किन्तु उनके अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम ढेंकन के कृषक गोकलिया के दो पुत्र थे। प्रथम पुत्र किसना एंव द्वित्तीय पुत्र सोमा था। किशना अविवाहित एंव निःसंतान था । सोमा के एक पुत्र पुन्ना था जिसका स्वर्गवास हो चुका है जिसका पुत्र लल्लू एंव पत्नि कमलीवाई है। किसना के नाम ग्राम ढेंकन में भूमि सर्वे नंबर 663 रकबा 2.748 हैक्टर भूमि में हिस्सा 1/2 है।

प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि मृतक किसना के भाई की पुत्रबधु महिला कमलीवाई है एंव लल्लू भाई के पुत्र का पुत्र है

जबकि आवेदिक सूरजवाई मृतक किसना की बहिन है एंव हन्नू व रामलाल भानिजे हैं। आवेदिक सूरजवाई, हन्नू व रामलाल ने तहसीलदार के समक्ष बसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण किये जाने की मांग की है। जब मृतक किसना के रक्तोदर भाई के बॅसज मौजूद है, तहसीलदार का दायित्व था कि वह मृतक किसना के रक्तोदर भाई के बॅसजों को नामान्तरण की व्यक्तिगत सूचना देते, किन्तु उन्होंने अनावेदकगण को व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जिसके कारण उन्हें तहसील न्यायालय में पक्ष रखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। फलतः अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली ने प्रकरण कमांक 45/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-2-2001 से हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में किसी प्रकार की त्रृटि नही है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 137/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-2003 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है क्योंकि उभय पक्ष को तहसील न्यायालय में पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 137/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-3-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर